

राजस्थान सरकार  
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर


क्रमांक: एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2022-23/5053

दिनांक: 19/07/2022

जलाशयों को लीज पर देने बाबत ई-नीलामी बोली सूचना 03

राज्य में स्थित विभिन्न श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन जलाशयों (कुल आरक्षित राशि रू. 2163.10 लाख) में वर्ष 2022-23 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट के अधिकार आवंटन हेतु ई-नीलामी बोली द्वारा बोलीयां दिनांक 16.08.2022 को सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। नीलामी बोली से संबंधित विस्तृत सूचना एवं शर्तें [www.fisheries.rajasthan.gov.in](http://www.fisheries.rajasthan.gov.in) व [www.dipronline.org](http://www.dipronline.org) पर दिनांक 19.07.2022 से अवलोकन एवं ऑनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र [www.eproc.raj.gov.in](http://www.eproc.raj.gov.in) पर दिनांक 25.07.2022 से 16.08.2022 को सांय 6.00 बजे तक अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड कर सकते हैं।

नीलामी बोली से सम्बन्धित सभी अधिकार निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पास सुरक्षित रहेंगे।

  
(मेघराज सिंह रतनू)  
आई.ए.एस.  
निदेशक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2022-23/

दिनांक:

मत्स्याखेट हेतु जलाशयों को लीज पर देने बाबत ई-नीलामी बोली सूचना 03

राज्य में स्थित विभिन्न श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन निम्न जलाशयों में वर्ष 2022-23 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट के अधिकार आवंटन हेतु ई-नीलामी बोली द्वारा बोलीयां दिनांक 16.08.2022 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं:-

“ क ” श्रेणी के जलाशयों की सूची:-

क्र.सं.	नाम जलाशय/नदी	वर्ष 2022-23 के लिये आरक्षित राशि (रु. लाखों में)
	जिला धोलपुर	
1	बन्ध आंगई डेम	96.00
	जिला सीकर	
2	बंध रायपुर पाटन	5.00
3	बंध दीपावास	5.00
	जिला टोंक	
4	बन्ध बीसलपुर मय नदी डाई खारी जिला अजमेर-भीलवाड़ा मय बंध भटेड़ा	550.00
5	बंध दाखिया	8.00
	जिला भीलवाड़ा	
6	बंध कोठारी स्टेज नं. 02 मय नदी डेम से कोटू कोटा तक (माण्डलगढ़)	150.00
7	बंध जैतपुरा	25.00
8	बंध रायथलियास	12.00
9	बंध लड़की मय नदी माणक देह जिला राजसमंद - भीलवाड़ा	14.00
10	बंध देवनारायण सागर समेलिया	7.00
11	बंध मांडल	40.00
12	बंध इंटुण्डा	8.00
13	बंध अरवड़	55.00
14	बन्ध नवलपुरा	5.00
15	बंध आगूचा	5.00
	जिला उदयपुर	
16	बंध स्वरूप सागर रंग सागर पिछोला	20.00
17	बंध हरचन्द (सराड़ा)	8.00
	जिला डूंगरपुर	
18	बंध सोम कमला अम्बा	150.00

19	बंध बोडीगामा	15.00
20	बंध टामटिया	5.00
21	बंध पूंजपुर	10.00
	जिला बांसवाडा	
22	बन्ध लोधा	11.00
	जिला चित्तौड़गढ़	
23	बंध गंभीरी मय नदी	65.00
24	बंध बाड़ी मानसरोवर	32.00
25	बंध रूपारेल	6.00
26	बंध डौराई	8.00
27	बंध मुरलिया	15.00
28	बंध बनाकिया	7.00
	जिला बून्दी	
29	बंध चाकन	12.00
	जिला झालावाड़	
30	बंध सूर्यसागर (खण्डिया)	6.50
31	बंध पीपलाद	55.00
32	बंध रेवा	30.00
	जिला पाली	
33	बंध रायपुर मय नदी	30.00
34	बंध छोडा	5.00
35	बंध जवाई	300.00
36	बंध मिठडी	10.00
37	बंध कंटालिया	20.00
38	बंध सेली की नाल बांध देसूरी	5.00
39	बंध कैसूली	8.00
40	बंध रोडावास	9.00
41	बंध गजनई	15.00
42	बंध सिरयारी	10.00
	जिला बांरा	
43	बंध लासी	20.00
44	नदी पार्वती राजस्थान छबड़ा से किशनपुरा बांध तक	6.00
	जिला अजमेर	
45	बंध हम्मीर सागर	6.00
46	बंध लसानी व इससे जुड़े हुये नाले	6.00

47	बंध मकरेडा	50.00
48	बंध फाईसागर	10.00
	जिला राजसमंद	
49	बंध सोपरी	15.00
50	बंध मानसरोवर देवगढ़	5.00
	जिला जोधपुर	
51	बंध कायलाना माचिया सफारी पार्क को छोड़कर	10.00
	जिला सिरोही	
52	बंध पश्चिमी बनास मय नदी	20.00
53	माण्डवाड़ा	6.00
54	बंध कमेरी	10.00
55	बंध अणगौर	35.00
	जिला दौसा	
56	बंध रेडिया मय नदी मल्लाना तक दौसा-अलवर	8.00
	जिला करौली	
57	बंध अतेवा	5.00
	जिला कोटा	
58	बन्ध अयानी	6.00
59	बन्ध खेडली काल्या	5.00
	जिला जैसलमेर	
60	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आर डी 1080 बोराना गांव स्केप चैनल 1120. 20 डिप्रेशन स्केप चैनल बोरोपिटस आर डी 1458 मय स्केप चैनल सदराऊ स्केप चैनल डिप्रेशन सागरमल गोपा शाखा आर0डी0 47 डिप्रेशन (डिग्गी सुन्ताना) बाबा रामदेव शाखा आर0डी0 140 डिप्रेशन आर0डी0 277 डिप्रेशन (लूनार-गुंजनगढ) आर0डी0 345 डिप्रेशन (करडा- पोचीना), डिप्रेशन के साथ ही मुख्य नहर, इसकी समस्त शाखाएँ, वितरिकाएँ मय लिफ्ट केनाल नहर के आस-पास सीपेज क्षेत्र। जिला जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर। (आर.डी. 1356 स्केप चैनल को छोड़कर) जिला जैसलमेर।	35.00



	जिला हनुमानगढ़	
61	घग्घर डिप्रेशन 1 से 18 हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिला। घग्घर डाईवर्सन चैनल 0 से 158 आर डी तक एवं डाईवर्सन चैनल के स्केपमय गढ़डे। घग्घर नदी एवं उसके समस्त गढ़ड टिब्बी स्केप से अनुपगढ तक (राजस्थान सीमा) इंदिरा गांधी नहर जिला श्रीगंगानगर बीकानेर एवं हनुमानगढ़ तथा उसकी समस्त शाखाएँ गंगानगर एवं बीकानेर की कंवरसेन लिफ्ट कैनाल बीरधवाल हेड से खारा ग्राम तक, इंदिरा गांधी नहर फीडर एवं उसकी समस्त शाखाएँ (राजस्थान सीमा) गंग कैनाल भाखडा कैनाल व उसकी समस्त शाखाएँ (मय बोरोप्टिस)। अमरसिंह कैनाल एवं उसकी समस्त शाखाएँ राजस्थान सीमा इंदिरा गांधी नहर (आर डी 750 के स्केप तथा आर डी 507 के स्केप चैनल घेघडा झील को छोडकर) तथा समस्त डिप्रेशन जिला श्रीगंगानगर बीकानेर एवं हनुमानगढ़।	25.00
	जिला प्रतापगढ़	
62	बंध जाखम मय नदी (सँचुरी एरिया को छोडकर)	8.00

**“ ख ” एवं “ ग ” श्रेणी के जलाशयों की सूची:-**

क्र. सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2022-23 के लिये आरक्षित राशि (रु. लाखों में)
	जिला जोधपुर	
1	बंध उम्मेदसागर (जोधपुर शहर)	0.15
	जिला टोंक	
2	बंध रातोडिया	1.00
3	बंध जानवास	0.15
	जिला झालावाड	
4	बंध बोरबंद तह. अकलेरा	0.25
5	बंध चन्द्रसरोवर (गावडी)	4.00
	जिला भीलवाडा	
6	बंध गांधीसागर	1.50
	जिला करौली	
7	बंध रणगवां	3.00
	जिला सवाईमाधोपुर	
8	नदी बनास ईसरदा रेल्वे पुल से तालडा तक वन क्षेत्र आमली देह को छोडकर	3.00
	जिला बूंदी	
9	नदी खुराड बन का खेडा से पीपलदा तक	1.25
	जिला चित्तौडगढ़	
10	नदी बागन, बागन डेम के नीचे से लेकर भूतिया गांव एनिकट तक	0.50
11	नदी औराई बस्सी डेम के ओवरफ्लो से भेड़च नदी तक	0.40
	जिला बांसवाडा	
12	नदी माही (मुख्य डेम साउईट साईट से नीचे की और अगरपुरा पुल तक निषेद्ध क्षेत्र को छोडकर) जिला बांसवाडा	2.00
	जिला अजमेर	
13	बंध चौरासियावास	2.40

नीलामी बोली से संबंधित शर्तें एवं विस्तृत सूचना [www.fisheries.rajasthan.gov.in](http://www.fisheries.rajasthan.gov.in) व [www.dipronline.org](http://www.dipronline.org) पर दिनांक 19.07.2022 से अवलोकन कर सकते हैं। ऑनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र [www.eproc.raj.gov.in](http://www.eproc.raj.gov.in) पर दिनांक 25.07.2022 से डाउनलोड कर दिनांक 16.08.2022 को सांय 6.00 बजे तक अपलोड करवा सकते हैं। ऑनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र अपलोड कराते समय साथ में निम्न चालान की स्कैन प्रतियां भी अपलोड करवानी होगी। चालान भौतिक रूप से निदेशालय, मत्स्य विभाग, जयपुर में जमा करवाना आवश्यक नहीं है।

क्र. सं.	चालान की राशि (रूपये में)	विवरण जिस बजट मद में चालान बनवाया जाना है:-
1.	500/- (नीलामी बोली प्रपत्र शुल्क प्रत्येक जलाशय के अलग-अलग)	0075-00-800-(52)-[01] निविदा प्रपत्र शुल्क
2.	आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत (प्रत्येक जलाशय के लिये अलग-अलग)	8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा
3.	“क” श्रेणी हेतु 1000/- (ई-नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क) “ख” श्रेणी हेतु 500/- (ई-नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क) (प्रत्येक जलाशय के लिये अलग-अलग)	8658-00-102-(16)-[01] सिविल विभाग हेतु विभागीय कोड-33 ऑफिस आई.डी.-396 कार्यालय- निदेशालय मत्स्य विभाग राज. जयपुर लोकेशन- जयपुर सेक्रेट्रियट

ऑनलाईन तकनीकी नीलामी बोली दिनांक 17.08.2022 को प्रातः 10.00 बजे से खोली जावेगी एवं तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ऑनलाईन वित्तीय नीलामी बोली खोले जाने की दिनांक की सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी जावेगी।

नीलामी बोली स्वीकृति आदेश विभागीय वेबसाईट [www.fisheries.rajasthan.gov.in](http://www.fisheries.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अतः समय-समय पर विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।

नीलामी बोली से संबंधित सभी अधिकार निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पास सुरक्षित रहेंगे।

— E —


(मेघराज सिंह रतनू)  
आई.ए.एस.  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2022-23/5054-5154

दिनांक: 19/07/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, पशुपालन, एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त राज्यों के निदेशक/आयुक्त, मत्स्य विभाग को भेजकर अनुरोध है कि आपके राज्य के मत्स्य ठेकेदारों को सूचित करने का कष्ट करें।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,-----को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नीलामी बोली विज्ञप्ति से सूचित करने का श्रम करें।
8. उपनिदेशक मत्स्य, जयपुर/उदयपुर।
9. सहायक निदेशक मत्स्य योजना/मुख्यालय/सांख्यिकी राजस्थान जयपुर।
10. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,-----
11. समस्त मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी-----
12. कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय मत्स्य राजस्थान जयपुर।
13. रोकड शाखा/भण्डार शाखा/विकास शाखा/संस्थापन शाखा निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
14. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय मत्स्य राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
15. श्रीमती सीमा परेवा, प्रोग्रामर, पशुपालन विभाग, मुख्यालय जयपुर एवं श्री प्रवीण कुमार लुगरिया, सहायक प्रोग्रामर निदेशालय गौ सेवा, पशुपालन विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि ई-प्रॉक पर ऑनलाईन टेण्डरिंग से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही संपादित करें।
16. नोटिस बोर्ड निदेशालय, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. सी.पी. जुयाल)  
उपनिदेशक

**राजस्थान सरकार**  
**मत्स्य विभाग**

**ई-नीलामी बोली प्रपत्र**

**नीलामी बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक- 16.08.2022**

**विषय:-** विभिन्न श्रेणी के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2022-23 हेतु मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी बोली प्रपत्र।

- 1- बोलीदाता का नाम :- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2- पिताजी का नाम :- \_\_\_\_\_
- 3- पेन कार्ड नम्बर :- \_\_\_\_\_  
(पेन कार्ड की प्रति स्कैन कर अपलोड करें)
- 4- (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड:- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
दूरभाष नम्बर - \_\_\_\_\_  
मोबाइल नम्बर- \_\_\_\_\_  
ई मेल आई डी :-  
(2) स्थाई पता मय पिन कोड :- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 5- जलाशय का नाम जिसके लिये नीलामी बोली दी जा रही हैं:-

- 6- संदर्भ:- नीलामी बोली विज्ञप्ति क्रमांक:- एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2022-23/5053  
दिनांक: 19.07.2022
- 7- नीलामी बोली विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जलाशय की जमा कराये जाने वाली नीलामी बोली प्रपत्र शुल्क, ई-नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के चालान का विवरण:-

क्र.सं.	जलाशय का नाम	चालान न0	दिनांक	राशि
1.				

बोलीदाता के हस्ताक्षर



- 8— निम्न की प्रतियां **नीलामी बोली प्रपत्र** के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी तथा विभाग द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे:—
- (1) कम्पनी/फर्म की स्थिति में कम्पनी/फर्म रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज।
  - (2) पेन कार्ड।
  - (3) आधार कार्ड की प्रति/निवासी होने का प्रमाण पत्र (साझेदारी फर्म होने की स्थिति में साझेदार एवं कम्पनी की स्थिति में डायरेक्टर (निदेशक) के आधार कार्ड की प्रतिलिपि)
  - (4) निरस्त बैंक/पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति जिसमें खातेदार/अकाउण्ट होल्डर का नाम, खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो।
  - (5) नीलामी बोली शुल्क, ई प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के ई-ग्रास पर बनाये गये चालान की प्रति। (उक्त दोनो शुल्क एवं अमानता राशि हेतु एक ही चालान बनाया जायेगा)
  - (6) किसी भी राज्य एवं राजस्थान सरकार में डीबार (प्रतिबन्धित) नहीं किया गया है का स्व-प्रमाणित घोषणा का प्रमाण पत्र।

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4)निम/लेखा/टेका/2022-23/5053 दिनांक 19.07.2022 में वर्णित सभी शर्तें पढ ली है तथा संलग्न शर्तों पर मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है तथा मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**

**राजस्थान सरकार**  
**मत्स्य विभाग**  
**ई-नीलामी बोली शर्तें वर्ष 2022-23**

स्टेजेज बढ़ोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की नीलामी बोली शर्तें:-

- 1 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग-अलग आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत अमानता राशि (जलाशयों के सामने अंकितानुसार) जमा करानी होगी।
- 2 नीलामी बोली के लिए समय सारणी निम्न प्रकार है:-

ई-नीलामी बोली अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड दिनांक से	ई-नीलामी बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	ई-तकनीकी नीलामी बोली खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी नीलामी बोली मांगी जा रही हैं
25.07.2022	16.08.2022 सांय 6.00 बजे तक	17.08.2022 प्रातः 10.00 बजे से	विभिन्न श्रेणी के जलाशय (नीलामी बोली प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

- 3 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोलीओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि का चालान, नीलामी बोली शुल्क रु. 500/- का चालान तथा ई-नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क रु. 1000/- ("क" श्रेणी के लिए) एवं रु. 500/- ("ख" व "ग" श्रेणी के लिए) का चालान निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान, जयपुर के नाम से पृ.सं. 7 एवं 8 पर वर्णित प्रक्रिया/सारणी के अनुसार देय होगा। नीलामी बोली प्रपत्र के साथ उक्त चालान की स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होगी। अमानता राशि के लिये चैक एवं डी.डी. मान्य नहीं होंगे एवं नीलामी बोली निरस्त मानी जावेगी। नीलामी बोली प्रपत्र का शुल्क, ई नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि का भुगतान ई-ग्रास पद्धति से चालान के द्वारा स्वीकार किया जायेगा। उक्त चालान व डिबार (प्रतिबन्धित) नहीं होने का प्रमाण पत्र भौतिक रूप से विभाग में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
- 4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस नीलामी बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं नीलामी बोली निरस्त मानी जावेगी।
- 5 बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली आनलाईन दिये गये बी.ओ.क्यू. (B.O.Q.) फारमेट में ही जलाशय वार देनी होगी।
- 6 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षों की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढ़ती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढ़ोत्तरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तदनुसार आगामी वर्ष के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**

- 7 बोलीदाता द्वारा दी गई शर्त नीलामी बोली मान्य नहीं होगी।
- 8 बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- 9 सफल बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जब्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के एक माह में जमा कराई जाकर कुल नीलामी बोली रकम का साढ़े सात प्रतिशत (7.5) की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञापत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि निदेशक मत्स्य, राजस्थान जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट/ई-ग्रास पर जनरेट चालान के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 10 निदेशक मत्स्य/नीलामी बोली समिति को किसी भी नीलामी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11 बोलीदाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।
- 12 बोलीदाता को नीलामी बोली में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- 13 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर बोलीदाता कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा एवं तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 14 बोलीदाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/निदेशक मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- 15 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को नीलामी बोली देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- 16 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित बोलीदाता को जलाशय का मूल अनुज्ञापत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।
- 17 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष नीलामी बोली शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या नीलामी बोली शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो नीलामी बोली खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**

- 18 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या-8 के अनुसार नीलामी बोलीयां आमंत्रित करके/नीलामी बोली के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।
- 19 सफल बोलीदाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य बोलीदाताओं को अमानत/धरोहर राशि लौटाई जाएगी।
- 20 नीलामी बोली खोलने के बाद किसी प्रकार की ई मेल/पत्र मान्य नहीं होगा।
- 21 बोलीदाता को नीलामी बोली प्रपत्र में अपना सही पता मय पिन कोड के अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना बोलीदाता के पास नहीं पहुंचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 22 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।
- 23 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार को संबन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबन्धित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 24 चालू वर्ष के ठेके की राशि एवं आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 25 बोलीदाता जिन जलाशयों की दर प्रस्तुत कर रहे हैं वे ई-नीलामी बोली दस्तावेज के वित्तीय बोली के निर्धारित प्रपत्र में ही दर प्रस्तुत करेंगे।
- 26 बिड डाक्यूमेन्ट में विभिन्न श्रेणी के कुल 75 जलाशयों की सूची होगी, परन्तु प्रत्येक जलाशय के लिए BOQ/Price Schedule पृथक पृथक प्रदर्शित होंगे। बोलीदाता को मत्स्याखेट हेतु लीज पर लिये जाने वाले बंध/जलाशय के लिए पृथक पृथक BOQ/Price Schedule में बोली राशि अंकित करनी होगी।
- 27 बोलीदाता नीलामी बोली की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व वित्तीय दरें ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 28 बोलीदाता द्वारा जिन जलाशयों की अमानता राशि विभाग में जमा कराई है उन्हीं जलाशयों के लिये मान्य होगी। उक्त जलाशयों के अतिरिक्त अन्य जलाशयों हेतु प्रस्तुत बोली के लिए मान्य नहीं होगी।
- 29 मेरे द्वारा सभी नीलामी बोली शर्तें स्वीकार की गईं और विभाग के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।
- 30 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी नीलामी बोली पत्र में अंकित किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

- 31 स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।
- 32 नीलामी बोली के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।
- 33 जलाशय के प्रभावी जल क्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबंधित कार्यों, आर. एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।
- 34 मत्स्याखेट हेतु काम में आने वाली नावों का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में करवाना आवश्यक है मत्स्याखेट से पूर्व नावों पर नियमानुसार पंजीकरण क्रमांक, चेतावनी एवं मत्स्य ठेकेदार का नाम व ठेका वर्ष नावों पर अंकित कराना आवश्यक है। नाव में सवार होने से पूर्व प्रत्येक नाविक/मछुआरा को सेफटी जैकेट (लाईफ जैकेट) पहनना आवश्यक है।
- 35 समस्त बोलीदाताओं को भारत सरकार, राज सरकार एवं निदेशालय मत्स्य विभाग द्वारा कोविड-19 की पालना हेतु जारी गाईड लाईन के दिशा निर्देशो यथा मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, बोलीदाता के साथ केवल एक ही अतिरिक्त व्यक्ति परिसर में आ सकेगा तथा समय-समय पर जारी निर्देशो की पालना करनी होगी।
- 36 समस्त न्यायिक विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
- 37 मत्स्य ठेकेदार/मत्स्य कृषक महाशीर मछली का आखेट नहीं करेगा। यदि मत्स्याखेट के दौरान जाल में कोई महाशीर मछली आ भी जाती है तो उसे तुरन्त जीवित अवस्था में वापस पानी में छोड़ दिया जाएगा।
- 38 यदि कोई मत्स्य ठेकेदार जलाशय में मत्स्याखेट/मछली परिवहन हेतु इंजनयुक्त नावों का प्रयोग करना चाहता है, तो संबंधित परिवहन कार्यालय में इंजनयुक्त नावों का पंजीकरण करवाकर ही प्रयोग करेगा।
- 39 जलाशय का मत्स्याखेट अनुज्ञापत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व बोलीदाता/निविदादाता को जलाशय में किसी भी प्रकार की मत्स्य विकास/आखेट गतिविधियां संचालित किये जाने का अधिकार नहीं होगा।
- 40 **बंध बीसलपुर जिला टॉक का ठेका माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 3987/2020 श्री देवेन्द्र जायसवाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।**
- 41 मैंने/हम बोलीदाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की नीलामी बोली की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी-खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य है।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**



## ई-ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया:-

1. अमानत राशि निविदा प्रपत्र में सम्बन्धित जलाशय के सामने दर्शाई गई आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं आर.आई.एस.एल. का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से देय होगी। जिसकी ई-भुगतान रसीद/ई-ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई-निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
  - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से **बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443-00-103-00-00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075-00-800-(52)-[01] में एवं ई-प्रोसेसिंग शुल्क (आर.आई.एस.एल.) बजट मद 8658-00-102-(16)-[01]** के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के नाम से जमा की जायेगी।
  - बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर **New User sign up** से लॉगिन फार्म भरना है।
  - **Login ID Password** प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर **Sign in** करें।
  - चालान जमा करवाने हेतु **Service Challan** का ऑप्शन चयन करें।
  - **Department (Directorate Fisheries Department** हेतु विभागीय कोड 33 एवं ऑफिस आई.डी.-396) का चयन करें।
  - चालान फार्म में **Period** के option में **onetime** ऑप्शन का चयन करें।
  - **Payment mode** में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है, उसकी संबंधित बैंक में चालान/कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई-ग्रास पोर्टल (<https:egrass.raj.nic.in>) पर **User Manual** में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई-ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-5111007, 5111010 पर संपर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।
2. निविदा शुल्क/अमानत राशि/आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात् निदेशालय मत्स्य विभाग, जयपुर में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज मान्य होंगे। ऑनलाईन टेण्डरिंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ई-प्रोक्योरमेंट हेल्प डेस्क 0141-4022688 पर संपर्क करें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

<p>अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया</p>	<p>वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प6(5)/साविलेनि/2018/ जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑनलाईन ई-ग्रास के माध्यम से चालान बनाने हेतु बजट मद :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>निविदा प्रपत्र शुल्क -0075-00-800-(52)-{01}</u></li> <li>2. <u>अमानत राशि - 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा</u></li> <li>3. <u>प्रोसेसिंग शुल्क - 8658-00-102-(16)-{01}</u> (सिविल विभाग)</li> </ol> <p><u>विभागीय कोड-33</u>  <u>ऑफिस आई.डी.- 396</u>  <u>कार्यालय- निदेशालय मत्स्य विभाग राज. जयपुर</u>  <u>लोकेशन- जयपुर सेक्रेट्रियट</u></p>
---	--

बोलीदाता के हस्ताक्षर

## **Self Attested Declaration**

1. The undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct.
2. The undersigned do hereby certifies that neither my/firm/company/individuals \_\_\_\_\_ nor any of its constituents partners have abandoned any project work in India nor any contract awarded to us for such works have been rescinded during the last 2 years prior to the date of this bid.
3. The undersigned here by authorized(s) and request(s) any bank/person/firm or corporation to furnish pertinent information as deemed necessary and as requested by the department to verify the statement or regarding my (our)competency or general reputation.
4. The undersigned understands and agrees that further qualifying information may be requested and agreed to furnish any such information at the request of department.
5. The undersigned do hereby certifies that neither my firm/company/individuals have not been debar by any organisation during last 2 years.

(Signature of the Bidder)  
Name of the Bidder  
Date

**राजस्थान सरकार**  
**मत्स्य विभाग**

मत्स्याखेट वर्ष 2022-23 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5(1)(ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणी के जलाशयों हेतु

**नीलामी बोली के साथ संलग्न पत्रों/दस्तावेजों की स्केन प्रतियां:-**

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	कम्पनी/फर्म की स्थिति में कम्पनी/फर्म रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज।	
2.	पेन कार्ड की प्रति।	
3.	आधार कार्ड की प्रति/निवासी होने का प्रमाण पत्र [साझेदारी फर्म होने की स्थिति में साझेदार एवं कम्पनी की स्थिति में डायरेक्टर (निदेशक) के आधार कार्ड की प्रतिलिपि]	
4.	निरस्त बैंक/पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति जिसमें खातेदार/अकाउण्ट होल्डर का नाम, खाता संख्या व आई.एफ.एस. सी. कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो।	
5.	नीलामी बोली शुल्क, ई-नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के चालान की प्रति।	
6.	किसी भी राज्य एवं राजस्थान सरकार में डीबार (प्रतिबन्धित) नहीं किया गया है, का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र।	
7.	अन्य दस्तावेज यदि कोई हो।	

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**

राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2022-23 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5(1)(ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणी के जलाशयों हेतु आरक्षित राशि एवं अमानता राशि की तालिका:-

“क” श्रेणी के जलाशयों की सूची

क्र. सं.	नाम जलाशय/नदी	वर्ष 2022-23 के लिये आरक्षित राशि (रु. लाखों में)	अमानता राशि (आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत) (रुपयों में)
	<b>जिला धौलपुर</b>		
1	बन्ध आंगई डेम	96.00	960000
	<b>जिला सीकर</b>		
2	बंध रायपुर पाटन	5.00	50000
3	बंध दीपावास	5.00	50000
	<b>जिला टोंक</b>		
4	बन्ध बीसलपुर मय नदी डाई खारी जिला अजमेर-भीलवाड़ा मय बंध भटेड़ा	550.00	5500000
5	बंध दाखिया	8.00	80000
	<b>जिला भीलवाड़ा</b>		
6	बंध कोठारी स्टेज नं. 02 मय नदी डेम से कोटू कोटा तक (माण्डलगढ़)	150.00	1500000
7	बंध जैतपुरा	25.00	250000
8	बंध रायथलियास	12.00	120000
9	बंध लड़की मय नदी माणक देह जिला राजसमंद - भीलवाड़ा	14.00	140000
10	बंध देवनारायण सागर समेलिया	7.00	70000
11	बंध मांडल	40.00	400000
12	बंध ईटुण्डा	8.00	80000
13	बंध अरवड़	55.00	550000
14	बन्ध नवलपुरा	5.00	50000
15	बंध आगूचा	5.00	50000
	<b>जिला उदयपुर</b>		
16	बंध स्वरूप सागर रंग सागर पिछोला	20.00	200000
17	बंध हरचन्द (सराड़ा)	8.00	80000
	<b>जिला डूंगरपुर</b>		
18	बंध सोम कमला अम्बा	150.00	1500000
19	बंध बोडीगामा	15.00	150000
20	बंध टामटिया	5.00	50000
21	बंध पूंजपुर	10.00	100000



	<b>जिला बांसवाड़ा</b>		
22	बन्ध लोधा	11.00	110000
	<b>जिला चित्तौड़गढ़</b>		
23	बंध गंभीरी मय नदी	65.00	650000
24	बंध बाड़ी मानसरोवर	32.00	320000
25	बंध रूपारेल	6.00	60000
26	बंध डौराई	8.00	80000
27	बंध मुरलिया	15.00	150000
28	बंध बनाकिया	7.00	70000
	<b>जिला बून्दी</b>		
29	बंध चाकन	12.00	120000
	<b>जिला झालावाड़</b>		
30	बंध सूर्यसागर (खण्डिया)	6.50	65000
31	बंध पीपलाद	55.00	550000
32	बंध रेवा	30.00	300000
	<b>जिला पाली</b>		
33	बंध रायपुर मय नदी	30.00	300000
34	बंध छोडा	5.00	50000
35	बंध जवाई	300.00	3000000
36	बंध मिठडी	10.00	100000
37	बंध कंटालिया	20.00	200000
38	बंध सेली की नाल बांध देसूरी	5.00	50000
39	बंध कैसूली	8.00	80000
40	बंध रोडावास	9.00	90000
41	बंध गजनई	15.00	150000
42	बंध सिरयारी	10.00	100000
	<b>जिला बांरा</b>		
43	बंध लासी	20.00	200000
44	नदी पार्वती राजस्थान छबड़ा से किशनपुरा बांध तक	6.00	60000
	<b>जिला अजमेर</b>		
45	बंध हम्मीर सागर	6.00	60000
46	बंध लसानी व इससे जुड़े हुये नाले	6.00	60000
47	बंध मकरेडा	50.00	500000
48	बन्ध फाईसागर	10.00	100000

	<b>जिला राजसमंद</b>		
49	बंध सोपरी	15.00	150000
50	बंध मानसरोवर देवगढ़	5.00	50000
	<b>जिला जोधपुर</b>		
51	बंध कायलाना माचिया सफारी पार्क को छोड़कर	10.00	100000
	<b>जिला सिरौही</b>		
52	बंध पश्चिमी बनास मय नदी	20.00	200000
53	माण्डवाड़ा	6.00	60000
54	बंध कमेरी	10.00	100000
55	बंध अणगौर	35.00	350000
	<b>जिला दौसा</b>		
56	बंध रेडिया मय नदी मल्लाना तक दौसा-अलवर	8.00	80000
	<b>जिला करौली</b>		
57	बंध अतेवा	5.00	50000
	<b>जिला कोटा</b>		
58	बंध अयानी	6.00	60000
59	बन्ध खेडली काल्या	5.00	50000
	<b>जिला जैसलमेर</b>		
60	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आर डी 1080 बोराना गांव स्केप चैनल 1120.20 डिप्रेशन स्केप चैनल बोरोपिटस आर डी 1458 मय स्केप चैनल सदराऊ स्केप चैनल डिप्रेशन सागरमल गोपा शाखा आर0डी0 47 डिप्रेशन (डिग्गी सुल्ताना) बाबा रामदेव शाखा आर0डी0 140 डिप्रेशन आर0डी0 277 डिप्रेशन (लूनार-गुंजनगढ) आर0डी0 345 डिप्रेशन (करडा- पोचीना), डिप्रेशन के साथ ही मुख्य नहर, इसकी समस्त शाखाएँ, वितरिकाएँ मय लिपट केनाल नहर के आस-पास सीपेज क्षेत्र। जिला जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर। (आर. डी. 1356 स्केप चैनल को छोड़कर) जिला जैसलमेर।	35.00	350000
	<b>जिला हनुमानगढ़</b>		
61	घग्घर डिप्रेशन 1 से 18 हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिला। घग्घर डाईवर्सन चैनल 0 से 158 आर डी तक एवं डाईवर्सन चैनल के स्केपमय गढ़डे। घग्घर नदी एवं उसके समस्त गढ़ड टिब्बी स्केप से अनुपगढ तक (राजस्थान सीमा) इंदिरा गांधी नहर जिला श्रीगंगानगर बीकानेर एवं हनुमानगढ़ तथा उसकी समस्त शाखाएँ गंगानगर एवं बीकानेर की कंवरसेन लिफ्ट कैनाल बीरधवाल हेड से खारा ग्राम तक, इंदिरा गांधी नहर फीडर एवं उसकी समस्त शाखाएँ (राजस्थान सीमा) गंग कैनाल भाखडा कैनाल व उसकी समस्त शाखाएँ (मय बोरोपिटस)। अमरसिंह कैनाल एवं उसकी समस्त शाखाएँ राजस्थान सीमा इंदिरा गांधी नहर (आर डी 750 के स्केप तथा आर डी 507 के स्केप चैनल घेघडा झील को छोड़कर) तथा समस्त डिप्रेशन जिला श्रीगंगानगर बीकानेर एवं हनुमानगढ़।	25.00	250000
	<b>जिला प्रतापगढ़</b>		
62	बंध जाखम मय नदी (सैंचुरी एरिया को छोड़कर)	8.00	80000

**“ख” एवं “ग” श्रेणी के जलाशयों की सूची**

क्र. सं.	नाम जलाशय/नदी	वर्ष 2022-23 के लिये आरक्षित राशि (रु. लाखों में)	अमानता राशि (आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत) (रुपयों में)
	<b>जिला जोधपुर</b>		
1	बंध उम्मेदसागर (जोधपुर शहर)	0.15	1500
	<b>जिला टोंक</b>		
2	बंध राठोडिया	1.00	10000
3	बंध जानवास	0.15	1500
	<b>जिला झालावाड</b>		
4	बंध बोरबंद तह. अकलेरा	0.25	2500
5	बंध चन्द्रसरोवर (गावडी)	4.00	40000
	<b>जिला भीलवाडा</b>		
6	बंध गांधीसागर	1.50	15000
	<b>जिला करौली</b>		
7	बंध रणगवां	3.00	30000
	<b>जिला सवाईमाधोपुर</b>		
8	नदी बनास ईसरदा रेल्वे पुल से तालडा तक वन क्षेत्र आमली देह को छोड़कर	3.00	30000
	<b>जिला बूंदी</b>		
9	नदी खुराड बन का खेडा से पीपलदा तक	1.25	12500
	<b>जिला चित्तौडगढ</b>		
10	नदी बागन, बागन डेम के नीचे से लेकर भूतिया गांव एनिकट तक	0.50	5000
11	नदी औराई बस्सी डेम के ओवरफ्लो से भेड़च नदी तक	0.40	4000
	<b>जिला बांसवाडा</b>		
12	नदी माही (मुख्य डेम साउईट साईट से नीचे की और अगरपुरा पुल तक निषेद्ध क्षेत्र को छोड़कर) जिला बांसवाडा	2.00	20000
	<b>जिला अजमेर</b>		
13	बन्ध चौरासियावास	2.40	24000